05/3/21 को पेश हो।

रीडर

27/1/021

आज यह पत्रावली वादिनी के प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए है। वादिनी के अधिवक्ता उपस्थित। उनके बाद Not Press में स्थगित कर दिया जाये। स्वयं वादिनी। चूंकि वादिनी वकील ने अपने स्थानांतरित हो गया है वादीगण का वाद Not Press में स्थगित किया जाता है। पत्रावली फिलहाल शुभारंभ के बाद के कारण बाद नकल लगाकर लेख कराया है। फिलहाल आज मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षर किया जाता है।

सुड

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वी यादव
I.D.

27/1/25

आज यह पत्रावली प्राधिकृत के प्रविष्टि पत्र से गलत होकर प्राप्त हुई। प्रार्थिया को वे गए किसान की उक्त प्रविष्टि पत्र 212 RTI Act Proceed में संशोधन कर उक्त पत्र के एक ही दस्तावेज एकमात्र प्राधिकृत व प्रार्थिया वकील ने हस्ताक्षर किये। इसलिए प्राधिकृत का प्रविष्टि पत्र 212 RTI Act Proceed में संशोधन किया जाता है। पत्रावली निस्तारण हेतु अग्रेतर कार्यवाही के लिए है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुख्यालय (खैरथल-तिजारा)

वि. पत्र

D.D.